भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2834
दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल संकट के समाधान के लिए समुदाय-आधारित दृष्टिकोण

†2834. श्री दिलेश्वर कामैतः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार के पास जल संकट के समाधान के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की कोई योजना है, ताकि दूर के स्रोतों से पानी लाने वाली महिलाओं को इससे मुक्ति मिल सके;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस तथ्य के दृष्टिगत कि देश में जल संसाधन केवल चार प्रतिशत है जिसके कारण यह विश्व में सबसे अधिक जल की कमी वाले क्षेत्रों में से एक बन गया है, सरकार द्वारा क्या पहल की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी में कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल अर्थात नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर का प्रावधान करने हेतु जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल क्रियान्वित कर रही है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से देश के ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल तक पहुंच में विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, दिनांक 10.12.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूचना के अनुसार, लगभग 12.12 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर

जल के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.12.2024 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.35 करोड़ (79.30%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति की सुविधा होने की सूचना है।

ग्रामीण समुदायों और पंचायतों में स्वामित्व की भावना लाने के लिए, जल आपूर्ति प्रणालियों से संबंधित सभी निर्णयों में ग्राम स्तरीय आयोजना और सामुदायिक भागीदारी के पहलुओं को जेजेएम के डिजाइन में शामिल किया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अनुमान लगाया है कि देश में ग्रामीण परिवारों में नल जल कवरेज की परिपूर्णता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप मुख्य रूप से महिलाओं को हर दिन 5.5 करोड़ घंटे से अधिक समय की बचत होगी, जो अन्यथा घरेलू जरूरतों के लिए जल संग्रह में खर्च होता है।

महिलाओं की भागीदारी के लिए मिशन के तहत शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

- ग्राम-अवस्थित जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायतों की 5.29 लाख से अधिक उप-समिति/उपयोगकर्ता समूह अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) या पानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें कम से कम 50% महिला सदस्य और समाज के सीमांत वर्गों के लिए उपयुक्त प्रतिनिधित्व हो।
- फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से पानी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से पांच महिलाओं की पहचान की गई और उन्हें प्रशिक्षित किया गया और अब तक 24.78 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है और अब तक 2024-25 में एफटीके के माध्यम से 74.17 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।
- देश भर में 14 हजार से अधिक गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों/महिला स्वयं सहायता समूहों/सीबीओ/ट्रस्टों/फाउंडेशनों, जिन्हें आईएसए कहा जाता है, को ग्राम-अवस्थित जल आपूर्ति प्रणालियों के नियोजन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव तथा योगदान के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी की सुविधाजनक बनाने का कार्य सौंपा गया है।

*****